मेसर्स सूरज माल राम निवास ऑयल मिल्स (पी.) लिमिटेड

बनाम

भारत बीमा कंपनी लिमिटेड और अन्य

(सिविल अपील सं. 1375/2003)

8 अक्टूबर, 2010

[डी. के. जैन और टी. एस. ठाकुर, जे. जे.]

बीमा-बीमा का अनुबंध अनुबंध के संदर्भ में, बीमित व्यक्ति को खेप के प्रत्येक प्रेषण का खुलासा करने की आवश्यकता होती है-बीमित व्यक्ति को कुछ खेपों के प्रेषण का खुलासा नहीं करना होता है-विचाराधीन खेप का प्रेषण उसके पारगमन के दौरान नुकसान का खुलासा किया जाता है-बीमा दावा-बीमा कंपनी द्वारा इस आधार पर अस्वीकार किया जाता है कि बीमित व्यक्ति ने सभी प्रेषणों का खुलासा नहीं करके अनुबंध के नियमों और शर्तों का भंग किया था-बीमा दावे के लिए बीमित व्यक्ति की पात्रता-धारितः अनुबंध के भंग के आधार पर बीमा दावा विफल होना चाहिए-अनुबंध के अनुसार, बीमित व्यक्ति को प्रत्येक प्रेषण की घोषणा करने की आवश्यकता थी, न कि अकेले उन लोगों के लिए जिसमें उसका बीमायोग्य ब्याज था-अनुबंध।

विलेख और दस्तावेज-बीमा अनुबंध की व्याख्या-आयोजितः बीमा अनुबंध की शर्तों का सख्ती से अर्थ लगाया जाना चाहिए-यह अदालत के लिए किसी भी शब्द को जोड़ने, हटाने या प्रतिस्थापित करने के लिए खुला नहीं है।

अपीलकर्ता, सरसों के तेल के निर्माण और बिक्री के व्यवसाय में लगी एक कंपनी, ने उत्तरदाता-बीमा कंपनी से एक खुली पारगमन बीमा पॉलिसी प्राप्त की, जिसमें रेल/सड़क द्वारा भारत में कहीं भी ले जाए जाने वाले डिब्बों में सभी प्रकार के खाद्य तेलों को शामिल किया गया। संबंधित अवधि के दौरान, बीमा कंपनी की देयता रुपये तक सीमित थी। 1 करोड़। बीमा पॉलिसी के कवर ध्यान दें में एक विशेष शर्त होती थी अर्थात प्रत्येक खेप को माल के प्रेषण से तुरंत पहले घोषित किया जाना था।

बीमाकृत ने तेल के कुछ डिब्बे भेजे। माल ले जा रही रेलवे वैगन दुर्घटना का शिकार हो गई, जिसके परिणामस्वरूप खेप को नुकसान पहुंचा। बीमाकृत ने दुर्घटना के बारे में बीमा कंपनी की दूसरी शाखा को सूचित किया। एक सर्वेक्षणकर्ता नियुक्त किया गया, जिसने नुकसान का आकलन करते हुए अपनी रिपोर्ट दी। इसके बाद प्रत्यर्थी संख्या 2 (बीमा कंपनी की स्थानीय शाखा) द्वारा एक अन्य सर्वेक्षणकर्ता नियुक्त किया गया, जिसने बताया कि जिस तारीख तक विचाराधीन खेप भेजी गई थी, उस तारीख

तक बीमित व्यक्ति ने केवल 2 करोड़ रुपये के प्रेषण का खुलासा किया था। 91,22,778-जबकि कुल प्रेषण रु 1,43,59,303/-

बीमित व्यक्ति के दावे को बीमा कंपनी द्वारा इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया था कि बीमित व्यक्ति ने अनुबंध के नियमों और शर्तों का उतना ही उल्लंघन किया जितना कि उसने सभी प्रेषणों की घोषणा नहीं की थी। बीमाकृत ने एक शिकायत दर्ज की, जिसे राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग द्वारा अनुमति दी गई। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने राज्य आयोग के आदेश को दरकिनार कर दिया और बीमित व्यक्ति के दावे की अस्वीकृति को बरकरार रखा। इसलिए, तत्काल अपील दायर की गई।

याचिका खारिज करते हुए न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया

1. यह सामान्य बात है कि बीमा के अनुबंध में, अधिकार और दायित्व उक्त अनुबंध की शर्तों द्वारा शासित होते हैं। इसलिए, बीमा अनुबंध की शर्तों का सख्ती से अर्थ लगाया जाना चाहिए, और इक्विटी के आधार पर कोई अपवाद नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार, बीमा अनुबंध की शर्तों को समझने में, उसमें उपयोग किए गए शब्दों को सर्वोपरि महत्व दिया जाना चाहिए, और अदालत के लिए किसी भी शब्द को जोड़ने, हटाने या प्रतिस्थापित करने के लिए यह खुला नहीं है। यह भी अच्छी तरह से तय किया गया है कि चूंकि बीमा पॉलिसी जारी करने पर, बीमाकर्ता

पॉलिसी द्वारा कवर किए गए जोखिमों के कारण बीमित व्यक्ति को हुए नुकसान की भरपाई करने का वचन देता है, इसलिए बीमाकर्ता के दायित्व की सीमा निर्धारित करने के लिए इसकी शर्तों का सख्ती से अर्थ लगाया जाना चाहिए। इसलिए, न्यायालय का प्रयास हमेशा उन शब्दों की व्याख्या करना होना चाहिए जिनमें पक्षकारों द्वारा अनुबंध व्यक्त किया जाता है। [पैरा 22 और 24] [158-ई; 152-डी-एफ]

जनरल एस्योरेंस सोसाइटी लिमिटेड बनाम चंदुमुल जैन और अन्र। (1966) 3 एस. सी. आर. 500 का अनुसरण किया गया।

यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम हरचंद राय चंदन लाल (2004) 8 एस. सी. सी. 644 पर भरोसा किया।

ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड अन्य सोनी चेरियन (1999) 6 एस. सी. सी. 451; विक्रम ग्रीनटेक इंडिया लिमिटेड और अन्य न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी लिमिटेड (2009) 5 एस. सी. सी. 599; सिक्का पेपर्स लिमिटेड अन्य नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और अन्य। (2009) 7 एस. सी. सी. 777; न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी लिमिटेड अन्य जुआरी इंडस्ट्रीज लिमिटेड और अन्य। (2009) 9 एस. सी. सी. 70; अमरावती जिला केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड अन्य यूनाइटेड इंडिया फायर एंड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। (2010) 5 एस. सी. सी. 294-संदर्भित।

2. तत्काल मामले में, अपीलार्थी का दावा इस संक्षिप्त आधार पर विफल होना चाहिए कि अनुबंध के कवर ध्यान दें में शामिल विशेष शर्त का भंग हुआ था। विशेष शर्त अर्थात "प्रत्येक खेप" को माल के प्रेषण से पहले घोषित किया जाना चाहिए और कोई अस्पष्टता स्वीकार नहीं की जानी चाहिए। अपीलार्थी अपीलार्थी के कारखाने परिसर से निकलने से पहले "प्रत्येक खेप" घोषित करने के लिए बाध्य था और पॉलिसी में यह सुझाव देने के लिए कुछ भी नहीं है कि बीमित व्यक्ति को बीमाकर्ता को उन प्रेषणों को चुनने और चुनने की स्वतंत्रता थी जिन्हें वे बीमाकर्ता को घोषित करना चाहते थे, यहां तक कि प्रेषक के कहने पर भी नहीं, जो अन्यथा बीमाकर्ता और बीमित व्यक्ति के बीच अनुबंध के लिए एक अजनबी है। यह कहना सही नहीं है कि अपीलकर्ताओं को केवल उन प्रेषणों की घोषणा करने की आवश्यकता थी जिनमें उनका बीमायोग्य ब्याज था। प्रेषक द्वारा किसी भी अनुरोध के बावजूद, बीमा पॉलिसी अपीलार्थी द्वारा प्रत्येक प्रेषण के संबंध में अभिनिर्धारित घोषणा करती है। इसलिए, यह तथ्य कि खरीदार कुछ प्रेषणों पर बीमा कवर नहीं चाहते थे, पॉलिसी के तहत प्रत्येक प्रेषण की घोषणा करने के लिए अपीलार्थी के दायित्व पर कोई असर नहीं पड़ा। यह कानून का एक तय प्रस्ताव है कि कोई अजनबी अनुबंध के लिए पक्षों के कानूनी दायित्वों को बदल नहीं सकता है। [पैरा 25] [152-जी; 153-ए-ई]

न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी लिमिटेड अन्य जी. एन. सैनानी (1997) 6 एस. सी. सी. 383; न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी लिमिटेड अन्य हीरालाल

रमेश चंद और अन्य। (2008) 10 एस. सी. सी. 626; यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड अन्य ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड (2007) 7 एस. सी. सी. 101; डिवीजनल मैनेजर, एल. आई. सी. अन्य श्री भवनम श्रीनिवास रेड्डी, (1991) सी. पी. जे. 189; डिवीजनल मैनेजर, एल. आई. सी. इंडिया अन्य श्रीमती। उमा देवी (1991) सीपीजे 516; मेसर्स राज कमल एंड कंपनी अन्य मेसर्स यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी, (1992) सीपीजे 121; डॉ. जे. जे. व्यापारी और ओआरएस। वर्सस श्रीनाथ चतुर्वेदी (2002) 6 एस. सी. सी. 635; सी. सी. आई. चैम्बर्स कॉप। एचएसजी। सोसायटी लिमिटेड अन्य डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक लिमिटेड (2003) 7 एस. सी. सी. 233-निर्दिष्ट।

बैरेट ब्रदर्स (टैक्सियाँ) लिमिटेड बनाम डेविस 1966 2 लॉयड का Rep.1; डनलप ब्रदर्स एंड कंपनी बनाम टाउनएंड 1919 (2) 127 (के. बी.); किलरॉय थॉम्पसन, लिमिटेड बनाम पर्किन्स एंड होमर, लिमिटेड [1956] 2 लॉयड के प्रतिनिधि 49-संदर्भित

मामला कानून संदर्भः

(1966) 2 लोड्स रेप. 1	संदर्भित	पैरा 16
(2005) 9 एस. सी. सी. 174	संदर्भित	पैरा 16
(1995) सप्लीमेंट (1) एस. सी. सी. 754	संदर्भित	पैरा 16
(1999) 3 एस. सी. सी. 465	संदर्भित	पैरा 16

(1997) 6 एस. सी. सी. 383	संदर्भित	पैरा 17
(2008) 10 एस. सी. सी. 626	संदर्भित	पैरा 17
(1956) 2 लियोड के प्रतिनिधि 49	संदर्भित	पैरा 18
(2007) 7 एस. सी. सी. 101	संदर्भित	पैरा 18
(1991) सीपीजे 189	संदर्भित	पैरा 19
(1991) सीपीजे 516	संदर्भित	पैरा 19
(1992) सीपीजे 121	संदर्भित	पैरा 19
(2002) 6 एस. सी. सी. 635	संदर्भित	पैरा 19
(2003) 7 एस. सी. सी. 233	संदर्भित	पैरा 19
1919 (2) 127 (के. बी.)	संदर्भित	पैरा 20
(2008) 14 एस. सी. सी. 598	संदर्भित	पैरा 21
(1999) 6 एस. सी. सी. 451	संदर्भित	पैरा 22
(1966) 3 एस. सी. आर. 500	के बाद	पैरा 22
(2009) 5 एस. सी. सी. 599	संदर्भित	पैरा 22
(2009) 7 एस. सी. सी. 777	संदर्भित	पैरा 22
(2009) 9 एस. सी. सी. 70	संदर्भित	पैरा 22
(2010) 5 एस. सी. सी. 294	संदर्भित	पैरा 22

(2004) 8 एस. सी. सी. 644 पर निर्भर पैरा 23

सिविल अपीलीय न्याय निर्णयः दीवानी याचिका सं 1375/2003

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, नई दिल्ली के एफ. ए. सं. 354/1996 के निर्णय और आदेश दिनांक 12.07.2002 से।

अपीलकर्ता के लिए ए. के. गंगुली, बामाली बसाक, चंचलकुमार गंगुली, चितन्या सफाया, देबेश पांडा।

प्रतिवादी की ओर से विनीत मल्होत्रा, के. सिंघल, डॉ. कैलाश चंद।

न्यायालय का निर्णय डे.के.जैन द्वारा दिया गया था।

1. यह अपील, विशेष अनुमति द्वारा, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (संक्षेप में "राष्ट्रीय आयोग") द्वारा 1996 की पहली अपील संख्या 354 में दिए गए 12 जुलाई 2002 के निर्णय और आदेश के खिलाफ निर्देशित की गई है, जिसके तहत उसने उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, राजस्थान (संक्षेप में "राज्य आयोग") द्वारा पारित 24 जून, 1996 के आदेश को दरकिनार कर दिया और कहा कि प्रतिवादी-बीमा कंपनी अपीलकर्ता के बीमा दावे को अस्वीकार करने में उचित थी।

2. दोनों प्रतिवादी एक ही बीमा कंपनी हैं, पहला पंजीकृत और मुख्य कार्यालय है और दूसरा इसका स्थानीय शाखा कार्यालय है।

3. अनावश्यक विवरणों से वंचित, इस अपील के निपटारे के उद्देश्य से तथ्य सामग्री इस प्रकार बताई जा सकती हैः

अपीलकर्ता कंपनी "भीष्म" ब्रांड के सरसों के तेल और केक के निर्माण और बिक्री के व्यवसाय में लगी हुई है।उन्होंने प्रतिवादी से एक खुली पारगमन बीमा पॉलिसी प्राप्त की थी जिसमें "डिब्बों में सभी प्रकार के खाद्य तेल" शामिल थे जिन्हें जयपुर से भारत में कहीं भी रेल/सड़क (जिसे घोषित किया जाना था) द्वारा ले जाया जाता था।प्रारंभ में, प्रतिवादी की देनदारी 10 लाख तक सीमित थी, लेकिन प्रासंगिक अवधि के दौरान, सीमा को बढ़ाकर 1 करोड़ कर दिया गया था।बीमा पॉलिसी अनुसूची के रूप में संलग्न कुछ शर्तों के अधीन थी।इसके अतिरिक्त, कवर ध्यान दें में निम्नलिखित विशेष शर्त और वारंटी भी शामिल थीः

"माल के प्रेषण से तुरंत पहले प्रत्येक खेप की घोषणा की जानी चाहिए।"

4. 14 अगस्त 1992 को, अपीलकर्ता ने 1194 टिन तेल भेजा, जिसका मूल्य रु। 5,84,790-रेल द्वारा जयपुर से धर्मनगर और सड़क मार्ग से धर्मनगर से अगरतला तक मैसर्स श्री कैबालिया भंडार, अगरतला।

5. उक्त माल को ले जा रही रेलवे वैगन 28 सितंबर 1992 को एक दुर्घटना का शिकार हो गई, जिसके परिणामस्वरूप खेप को व्यापक नुकसान हुआ।

6. यह एक स्वीकृत तथ्य है कि अपीलकर्ता ने 30 सितंबर 1992 तक दोनों प्रतिवादी में से किसी को भी उक्त दुर्घटना के बारे में सूचित नहीं किया था, लेकिन 28 सितंबर 1992 को ही अपने अगरतला कार्यालय को सूचित करने का दावा किया था, जिसने एक सर्वेक्षणकर्ता भी नियुक्त किया था। क्षतिग्रस्त स्थिति में खेप को 29 सितंबर 1992 को सड़क मार्ग से अगरतला भेजा गया था। सड़क वाहक मेसर्स पॉल ब्रदर्स द्वारा तैयार किए गए चालान संख्या 4336,40337 और 40338 में माल की क्षतिग्रस्त स्थिति का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है।उक्त माल उसी दिन प्रेषक द्वारा प्राप्त किया गया था।

7. 30 सितंबर 1992 को माल प्राप्तकर्ता ने माल को हुए नुकसान के बारे में प्रत्यर्थी संख्या 1 के अगरतला शाखा कार्यालय को सूचित किया। सड़क वाहक, मेसर्स पॉल ब्रदर्स ने भी प्रतिवादी संख्या 2 को इस मामले की सूचना दी। इसके बाद, 3 अक्टूबर 1992 को, सड़क वाहक ने एक कमी/क्षति प्रमाण पत्र जारी किया जिसमें कहा गया था कि 153 डिब्बे पूरी तरह से खाली स्थिति में सौंपे गए थे और शेष 1041 डिब्बों में तेल की कमी थी।

8. सर्वेक्षणकर्ता श्री तपन कुमार साहा की रिपोर्ट से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिवादी संख्या 1 की अगरतला शाखा ने 28 नवंबर 1992 को सर्वेक्षण के लिए निर्देश जारी किए थे।10 नवंबर 1992 को उन्होंने अपनी

रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें उन्होंने कुल नुकसान का आकलन किया। 4,39,178-प्रतिवादी द्वारा देय। उक्त रिपोर्ट को प्रतिवादी संख्या 2 को भी सूचित कर दिया गया था।

9.6 अगस्त 1993 को, एक अन्य सर्वेक्षक, श्री एस. के. बकलेवाल को प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा नियुक्त किया गया था, जिन्होंने बताया कि 1 अप्रैल 1992 से 14 अगस्त 1992 की अवधि के दौरान, अपीलकर्ता ने केवल 2 करोड़ रुपये के प्रेषण की घोषणा की थी। 91,22,778-जबकि उस अवधि के दौरान अपीलकर्ता द्वारा कुल प्रेषित राशि रु. 1,43,59,303/-।

10. इसके बाद प्रत्यर्थी संख्या 2 ने श्री तपन कुमार साहा से दुर्घटना स्थल पर माल को हुए नुकसान और क्षतिग्रस्त खेप को अगरतला ले जाने के दौरान हुए नुकसान को अलग करने का अनुरोध किया।22 मार्च 1994 की अपनी रिपोर्ट में, सर्वेक्षणकर्ता ने पाया कि रेल दुर्घटना के कारण तेल का नुकसान 2,048 किलोग्राम था. और धर्मनगर से अगरतला तक, यह 10,676 किलोग्राम था।

11. 23 अगस्त 1993 को, अपीलकर्ता ने प्रतिवादी से अपने दावे का सम्मान करने का अनुरोध किया, जिसके बाद 12 मई 1994 को एक अनुस्मारक दिया गया। 1 अगस्त 1994 को, प्रतिवादी ने पत्र सं यूआईआईसीःडी. ओ. आई. आई.:जेपीआरः1994-95, अपीलकर्ता के दावे को निम्नलिखित आधारों पर अस्वीकार कर दियाः

"(i) पॉलिसी के नियमों और शर्तों के अनुसार, आपको प्रत्येक प्रेषण की घोषणा करनी थी।10-4-1992 से 14-8-1992 तक, आपके पास रु 1,43,59,303/- जबकि आपने केवल अपने रिकॉर्ड के अनुसार घोषित किया है, रु। 91,22,778- इन घोषणाओं में से कई घोषणाएं कंपनी के कार्यालय तक नहीं पहुंची हैं।इसे सही मानते हुए भी क्योंकि भेजी गई राशि एक करोड़ रुपये से अधिक हो गई है, पॉलिसी में विचाराधीन प्रेषण को शामिल करना जारी नहीं रखा गया है, और इस प्रकार आपके दावे पर विचार नहीं किया जा सकता है।

(ii) आपने दुर्घटना के तुरंत बाद बीमा कंपनी के सर्वेक्षक द्वारा किए गए नुकसान के सर्वेक्षण के बिना और बीमा कंपनी की अनुमति के बिना रेल दुर्घटना स्थल से माल हटाकर पॉलिसी के नियमों और शर्तों का उल्लंघन किया है। आपने रेल दुर्घटना स्थल से अगरतला तक सामान ले जाने से पहले कोई जानकारी नहीं दी है या कोई अनुमति नहीं ली है।

(iii) आपने यह जानते हुए नुकसान को बढ़ाने में सहायता की है कि रेल दुर्घटना स्थल से अगरतला भेजे गए माल को

ठीक से पैक नहीं किया गया था, और क्षतिग्रस्त डिब्बों में तेल ले जाना नीति के नियमों और शर्तों और व्यवहार के सामान्य आचरण का स्पष्ट उल्लंघन है।सर्वेक्षक की रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि जिन नुकसानों की गणना प्रमाण पत्रों के आधार पर की गई है, जबकि रेल प्राधिकरणों ने रु। 71, 130/- जबकि बाकी नुकसान रेल दुर्घटना स्थल से अगरतला तक सड़क वाहक मैसर्स पॉल ब्रदर्स द्वारा क्षतिग्रस्त डिब्बों में परिवहन के दौरान हुआ है।यह भी विवादित नहीं है कि रेल दुर्घटना स्थल से अगरतला तक सड़क मार्ग से माल की ढुलाई के दौरान कोई दुर्घटना नहीं हुई थी और इन नुकसानों का कारण आपकी अपनी गलती, लापरवाही और रेल दुर्घटना के परिणामस्वरूप क्षतिग्रस्त डिब्बों से तेल को नए डिब्बों में स्थानांतरित करने के बाद ही तेल ले जाने के लिए उचित देखभाल की कमी है।''

12. उनके दावे की अस्वीकृति से व्यथित होकर, अपीलकर्ता ने राज्य आयोग के समक्ष एक शिकायत दायर की, जिसमें रुपये का दावा किया गया। 5,50,798-प्रतिवादी के खिलाफ भुगतान तक 10 नवंबर 1992 से देय 24 प्रतिशत की दर से ब्याज के साथ।

13. राज्य आयोग ने 24 जून 1996 के अपने आदेश के माध्यम से अपीलकर्ता की शिकायत को स्वीकार कर लिया और प्रतिवादी को रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया। 4,39,178-1 जनवरी 1993 से भुगतान तक 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ, और रु। 2, 000/- लागत के रूप में।प्रतिवादी द्वारा सेवा में लगाए गए अस्वीकृति के आधारों के संबंध में, राज्य आयोग ने, अन्य बातों के साथ साथ साथ-साथ, कहा कि सबसे पहले, खेपों की गैर-घोषणा का प्रभाव केवल यह हो सकता है कि वे बीमा पॉलिसी के दायरे में नहीं आते हैं, और अपीलकर्ता कंपनी ने रुपये की सीमा को पार नहीं किया है। बीमा द्वारा कवर किए जाने की इच्छा रखने वाले माल के संबंध में 1 करोड़ रुपये की खेप को बीमा पॉलिसी द्वारा कवर किया जाएगा क्योंकि इसके संबंध में विधिवत घोषणा की गई थी; दूसरा, उत्तरदाताओं का दायित्व इस कारण से प्रभावित नहीं होगा कि धर्मनगर में माल के उतारने के तुरंत बाद नुकसान का आकलन नहीं किया गया था, और तीसरा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि माल को नुकसान या नुकसान बीमित व्यक्ति की लापरवाही के कारण हुआ था, जब तक कि नुकसान बीमित व्यक्ति के जानबूझकर किए गए कार्य के कारण नहीं हुआ था।

14. राज्य आयोग के उक्त आदेश से व्यथित होकर, प्रतिवादी ने राष्ट्रीय आयोग के समक्ष अपील की।वनों से आच्छादित होने के कारण, राष्ट्रीय आयोग ने प्रतिवादी की अपील को इस प्रकार देखते हुए अनुमति दीः

"बीमित व्यक्ति द्वारा रेल दुर्घटना के कारण हुए नुकसान की सूचना देने में विफलता और सर्वेक्षणआदेश्ता को पहले नुकसान का आकलन आदेशने का मौका दिए बिना खेप को हटाने में विफलता और इसके विपरीत प्रारंभिक नुकसान के बाद सड़क मार्ग से परिवहन आदेशते समय अनुचित देखभाल के कारण नुकसान को बढ़ाने के साथ-साथ पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन आदेशते हुए पॉलिसी की शर्तों के अनुसार प्रत्येक प्रेषण की सूचना नहीं देना अपीलकर्ता के हित को पूर्वाग्रहित आदेशता है और हमारे विचार में अपीलकर्ता द्वारा अस्वीकार आदेशना क्रम में था।"

15. उक्त आदेश से असंतुष्ट होने के कारण, अपीलकर्ता इस अपील में हमारे सामने है।

16. अपीलकर्ता की ओर से पेश विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री ए. के. गांगुली ने दृढ़ता से आग्रह किया कि प्रतिवादी को 28 सितंबर 1992 को उनके अगरतला कार्यालय द्वारा से दुर्घटना के बारे में सूचित किया गया था और राष्ट्रीय आयोग ने यह निष्कर्ष दर्ज करते हुए इस तथ्य की अनदेखी की है कि सर्वेक्षणकर्ता को वास्तविक नुकसान का आकलन करने का मौका नहीं दिया गया था। इस तर्क को पुष्ट करने के लिए कि प्रेषक द्वारा भी बीमा की विषय वस्तु के नुकसान की सूचना पर्याप्त थी और बीमित व्यक्ति

द्वारा दुर्घटना के बारे में सूचना के अभाव में अपीलार्थी के दावे को अस्वीकार नहीं किया जा सकता था, विद्वान अधिवक्ता ने बैरट ब्रदर्स(टैक्सी), लिमिटेड बनाम डेविस, में अपील न्यायालय के निर्णय की सराहना की। जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि यदि बीमा कंपनी किसी अन्य स्रोत से सभी भौतिक जानकारी प्राप्त करती है ताकि वे स्वयं बीमित व्यक्ति द्वारा उन्हें सूचित करने में विफलता से बिल्कुल भी पूर्वाग्रहित न हों, तो वे दावे को विफल करने के लिए बीमा अनुबंध में ऐसी शर्त पर भरोसा नहीं कर सकते हैं।यह दलील दी गई कि वर्तमान मामले में सर्वेक्षणकर्ता ने माल के अपने गंतव्य पर पहुंचते ही खेप का सर्वेक्षण भी किया था और 1 पर नुकसान का आकलन किया था। रु. 4,39,178/- यह तर्क दिया गया कि चूंकि बीमा अनुबंध अनुबंध की एक अलग प्रजाति है, इसलिए उनकी व्याख्या अलग-अलग सिद्धांतों द्वारा नियंत्रित होती है और किसी भी खंड में किसी भी अस्पष्टता की स्थिति में या जहां दो व्याख्याएं संभव हैं, एक व्याख्या दी जानी चाहिए जो पॉलिसी धारकों के पक्ष में हो। प्रस्ताव के समर्थन में, विद्वान अधिवक्ता ने जनरल एस्योरेंस सोसाइटी लिमिटेड में इस न्यायालय के फैसलों पर भरोसा किया। बनाम चंदुमुल जैन और अन्य 2, पॉलिमेट इंडिया (पी) लिमिटेड और अन्य बनाम राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड और अन्य.[3], शशि गुप्ता बनाम भारतीय जीवन बीमा निगम और अन्र और भारतीय जीवन बीमा निगम बनाम राज कुमार राजगढ़िया और अन्य।

17. प्रत्येक खेप के प्रेषण के गैर-प्रकटीकरण के बारे में प्रतिवादी की आपत्ति के संबंध में, जैसा कि दूसरे सर्वेक्षणकर्ता द्वारा इंगित किया गया है, विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि उक्त शर्त को इस मौलिक शर्त के संदर्भ में समझा जाना चाहिए कि बीमा कवर का उद्देश्य केवल प्रेषण में अपीलकर्ता के बीमायोग्य हित को सुरक्षित करना था।यह आग्रह किया गया कि अपीलकर्ता ने केवल उन खेपों की घोषणा की थी जिनमें उनका "बीमायोग्य ब्याज" था क्योंकि उन प्रेषणों के संबंध में जो घोषित नहीं किए गए थे, प्रेषकों ने इच्छा व्यक्त की थी कि उनकी खेपों को बीमा सुरक्षा के बिना भेजा जाना चाहिए। ऐसे सभी मामलों में, खरीदारों ने अपने माल के नुकसान का जोखिम उठाया, और इसलिए अपीलकर्ता का उनमें कोई बीमायोग्य हित नहीं था, जैसा कि उस खेप में था जिसके लिए उचित घोषणा की गई थी। न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी लिमिटेड में इस न्यायालय के फैसलों का संदर्भ दिया गया था। बनाम जी. एन. सैनानी और न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम हीरालाल रमेश चंद और अन्य, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि बीमायोग्य ब्याज 2 से अधिक है। संपत्ति "ऐसा ब्याज है जो बीमित व्यक्ति को आर्थिक नुकसान पहुँचाने के लिए संपत्ति का नुकसान करता है।"

18. तब अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया कि तत्काल मामले में बीमा पॉलिसी जयपुर में लोडिंग के बिंदु से लेकर अंतिम डिलीवरी तक सभी जोखिमों को कवर करती है और अपीलकर्ता केवल यह

सुनिश्चित करने के लिए कर्तव्य के अधीन था कि माल ठीक से पैक की स्थिति में था जब उन्हें ट्रेन से परिवहन के लिए जयपुर में सौंपा गया था। यह दावा किया गया कि अपीलकर्ता ने यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किया था कि माल उचित स्थिति में अपने गंतव्य तक पहुंचे क्योंकि धर्मनगर स्टेशन पर हुई घटना उनके नियंत्रण से बाहर थी।इस तर्क को पुष्ट आदेशने के लिए कि माल अपने गंतव्य तक पहुंचने तक पारगमन में था। विद्वान अधिवक्ता अगरतला ने किलरॉय थॉम्पसन लिमिटेड बनाम पर्किन्स एंड होमर लिमिटेड और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। बनाम ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड पर भरोसा किया। यह तर्क दिया गया कि तत्काल मामले में प्रतिवादी ने अपीलकर्ता की ओर से लापरवाही साबित आदेशने के लिए कोई सबूत नहीं दिया है।

19. राष्ट्रीय आयोग द्वारा डिवीजनल मैनेजर, एल. आई. सी. ऑफ इंडिया बनाम श्री भवनम श्रीनिवास रेड्डी, डिवीजनल मैनेजर, एल. आई. सी. इंडिया बनाम श्रीमती रेड्डी में लिए गए निर्णयों पर भरोसा करते हुए। उमा देवी 1 और मेसर्स राज कमल एंड कंपनी बनाम मेसर्स यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी, विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि उपभोक्ता मंच के अधिकार क्षेत्र को उदारता से समझा जाना चाहिए और इसमें बीमा से उत्पन्न दावे का एकतरफा खंडन शामिल है। यह भी प्रस्तुत समर्थ गया कि इस तथ्य के अलावा कि वर्तमान मामले में तथ्य के किसी भी जटिल मुद्दे शामिल नहीं हैं, जिनके लिए बहुत विस्तृत साक्ष्य का नेतृत्व करना होगा,

जो राज्य या राष्ट्रीय आयोग नहीं कर पाएगा, केवल तथ्यों या कानून की जटिलता नहीं हो सकती है। पीड़ित व्यक्ति के लिए उन मंचों के दरवाजे बंद करने का आधार। प्रस्तुतिकरण को मजबूत करने के लिए, डॉ. जे. जे. मर्चेंट एंड अन्य बनाम श्रीनाथ चतुर्वेदी और सी. सी. आई. चैम्बर्स कॉप एचएसजी सोसायटी लिमिटेड बनाम डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक लिमिटेड में इस न्यायालय के फैसलों पर भरोसा रखा गया था।

20. इसके विपरीत, विचारकों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री विनीत मल्होत्रा ने राष्ट्रीय आयोग के फैसले का समर्थन करते हुए आग्रह किया कि अपीलकर्ता के दावे पर विचार नहीं किया जा सकता क्योंकि अपीलकर्ता ने कारखाने परिसर से बाहर निकलने से पहले प्रत्येक खेप का खुलासा नहीं करके नीति की विशेष शर्त का उल्लंघन किया था।यह दावा किया गया कि उक्त शर्त नीति की मूल शर्त थी और इसके भंग पर प्रतिवादी के दायित्व को अस्वीकार कर दिया गया था।यह भी अनुरोध किया गया कि जिस क्षण अपीलकर्ता के कारखाने से 1 करोड़ रुपये का माल भेजा गया था, उस समय नीति का अस्तित्व समाप्त हो गया था।यह तर्क दिया गया था कि विचाराधीन माल के प्रेषण से पहले, 303/- रुपये मूल्य का माल पहले ही भेजा जा चुका था, जबकि अपीलकर्ता ने माल के प्रेषण की घोषणा की थी जिसकी कीमत केवल 500/- रुपये थी। 91,22,778-और इसलिए, ई नीति के तहत प्रतिवादी का दायित्व भौतिक तथ्यों की गैर-घोषणा के कारण और इस तथ्य के कारण भी अस्तित्व में

नहीं रहा कि प्रेषण का मूल्य नीति सीमा से अधिक हो गया था।उनकी इस दलील के समर्थन में कि घोषणा के उद्देश्य से खेप चुनना और चुनना बीमाकृत के लिए खुला नहीं था, विद्वान अधिवक्ता ने डनलप ब्रदर्स एंड कंपनी बनाम टाउनएंड्स मामले में किंग्स पीठ के फैसले पर भरोसा किया। विद्वान वकील ने तर्क दिया कि अपीलकर्ता ने दुर्घटना के बारे में प्रतिवादी को तुरंत सूचित नहीं करके और साथ ही नुकसान को कम करने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाकर नीति की शर्तों का उल्लंघन किया है, क्योंकि धर्मनगर से अगरतला भेजे गए माल को ठीक से पैक नहीं किया गया था। विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, बीमा पॉलिसी बीमित व्यक्ति पर एक दायित्व डालती है और इसका एजेंटों को नुकसान को कम करने के लिए कदम उठाने के लिए, और यह तथ्य कि अपीलकर्ता ने टूटे हुए डिब्बों में तेल ले जाने की अनुमति दी थी, स्पष्ट रूप से स्थापित करता है कि अपीलकर्ता ने नीति की शर्तों का उल्लंघन किया था और इसलिए, प्रतिवादी को नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं बनाया जा सकता है।

21. अंत में, विद्वान अधिवक्ता ने आग्रह किया कि बीमा पॉलिसी के नियमों और शर्तों का सख्त अनुपालन होना चाहिए, और अपीलकर्ता ने पॉलिसी की एक मौलिक शर्त का उल्लंघन किया है, तो प्रतिवादी उन्हें किसी भी राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है।इस तर्क के समर्थन में कि बीमा के अनुबंध में, अधिकार और दायित्व सख्ती से पॉलिसी की शर्तों द्वारा नियंत्रित होते हैं और इक्विटी के आधार पर कोई

अपवाद या छूट नहीं दी जा सकती है, विद्वान अधिवक्ता ने देवकर एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी लिमिटेड, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में इस न्यायालय के फैसलों पर भरोसा किया।

22. पॉलिसी के अस्वीकृत होने के आधारों की शुद्धता की जांच शुरू करने से पहले, बीमा अनुबंध की प्रकृति की जांच करना उचित होगा।यह सामान्य बात है कि बीमा के अनुबंध में, अधिकार और दायित्व उक्त अनुबंध की शर्तों द्वारा शासित होते हैं।इसलिए, बीमा अनुबंध की शर्तों का सख्ती से अर्थ लगाया जाना चाहिए, और इक्विटी के आधार पर कोई अपवाद नहीं किया जा सकता है।जनरल एस्योरेंस सोसाइटी लिमिटेड (ऊपर) में, इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने कहा था किः"बीमा के अनुबंध से संबंधित दस्तावेजों की व्याख्या करने में, अदालत का कर्तव्य उन शब्दों की व्याख्या करना है जिसमें अनुबंध पक्षों द्वारा व्यक्त किया गया है, क्योंकि यह अदालत के लिए नहीं है कि वह एक नया अनुबंध करे, चाहे वह कितना भी उचित हो, अगर पक्षों ने इसे स्वयं नहीं किया है।

(यह भी देखेःओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम सोनी चेरियनःविक्रम ग्रीनटेक (ऊपर); सिक्का पेपर्स लिमिटेड बनाम नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम जुआरी इंडस्ट्रीज लिमिटेड और अमरावती डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक

लिमिटेड बनाम यूनाइटेड इंडिया फायर एंड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड।)

23. इसी तरह, हरचंद राय चंदन लाल के मामले (उपरोक्त) में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया किः

> "पॉलिसी की शर्तों को वैसा ही समझना होगा जैसा वह है और हम कुछ जोड़ या घटा नहीं सकते।चाहे हम उदारता से नीति का अर्थ कितना भी समझें, लेकिन हम उदारवाद को उन शब्दों को प्रतिस्थापित करने की सीमा तक नहीं ले जा सकते हैं जिनका इरादा नहीं है।"

24. इस प्रकार, इस बात पर बहुत कम जोर देने की आवश्यकता है कि बीमा अनुबंध की शर्तों को समझने में, उसमें उपयोग किए गए शब्दों को सर्वोपरि महत्व दिया जाना चाहिए, और यह न्यायालय के लिए किसी भी शब्द को जोड़ने, हटाने या प्रतिस्थापित करने के लिए खुला नहीं है।यह भी अच्छी तरह से तय किया गया है कि चूंकि बीमा पॉलिसी जारी करने पर, बीमाकर्ता पॉलिसी द्वारा कवर किए गए जोखिमों के कारण बीमित व्यक्ति को हुए नुकसान की भरपाई करने का वचन देता है, इसलिए बीमाकर्ता के दायित्व की सीमा निर्धारित करने के लिए इसकी शर्तों का सख्ती से अर्थ लगाया जाना चाहिए।इसलिए, न्यायालय का प्रयास हमेशा

उन शब्दों की व्याख्या करना होना चाहिए जिनमें पक्षकारों द्वारा अनुबंध व्यक्त किया जाता है।

25. बीमित व्यक्ति के दावे की जांच करते समय पूर्व उल्लिखित व्यापक सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए तत्काल मामले पर विचार करने के बाद, हमारी राय है कि अपीलकर्ता का दावा इस संक्षिप्त आधार पर विफल होना चाहिए कि यह कवर ध्यान दें में शामिल पूर्व-निकाली गई विशेष शर्त का भंग था।विशेष शर्त अर्थात "प्रत्येक खेप" को माल के प्रेषण से पहले घोषित किया जाना चाहिए और कोई अस्पष्टता स्वीकार नहीं की जानी चाहिए।अपीलकर्ता अपीलकर्ता के कारखाने परिसर से निकलने से पहले "प्रत्येक खेप" घोषित करने के लिए बाध्य था और पॉलिसी में यह सुझाव देने के लिए कुछ भी नहीं है कि बीमित व्यक्ति को बीमाकर्ता को उन प्रेषणों को चुनने और चुनने की स्वतंत्रता थी जिन्हें वे बीमाकर्ता को घोषित करना चाहते थे, यहां तक कि प्रेषक के कहने पर भी नहीं, जो अन्यथा बीमाकर्ता और बीमित व्यक्ति के बीच अनुबंध के लिए एक अजनबी है।हमें अपीलकर्ता की इस दलील को अस्वीकार करने में कोई संकोच नहीं है कि उन्हें केवल उन प्रेषणों की घोषणा करने की आवश्यकता थी जिनमें उनका बीमायोग्य हित था। यह दोहराया जाता है कि प्रेषक द्वारा किसी भी अनुरोध के बावजूद, बीमा पॉलिसी अपीलकर्ता द्वारा प्रत्येक प्रेषण के संबंध में अभिनिर्धारित घोषणा करती है।इसलिए, यह तथ्य कि खरीदार कुछ प्रेषणों पर बीमा कवर नहीं चाहते थे, पॉलिसी के तहत प्रत्येक प्रेषण की घोषणा

करने के लिए अपीलकर्ता के दायित्व पर कोई असर नहीं पड़ा।यह कानून का एक तय प्रस्ताव है कि कोई अजनबी अनुबंध के लिए पक्षों के कानूनी दायित्वों को बदल नहीं सकता है।

26. हम राष्ट्रीय आयोग के साथ पूरी तरह से सहमत हैं कि अपीलकर्ता की ओर से बीमा पॉलिसी के लिए कवर ध्यान दें में विशेष शर्त का भंग किया गया था और इसलिए, प्रतिवादी द्वारा अपीलकर्ता के दावे का खंडन उचित था।

27. इस निष्कर्ष पर पहुँचने के बाद कि अपीलकर्ता द्वारा वन आधारित आधार पर किए गए दावे का खंडन वैध था, हम विद्वान अधिवक्ता द्वारा हमारे सामने किए गए अन्य प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों की शुद्धता का मूल्यांकन करना अनावश्यक समझते हैं।

28. नतीजतन, अपील किसी भी योग्यता से रहित होने के कारण खारिज होने योग्य है। इसे तदनुसार खारिज कर दिया जाता है, जिससे पक्षकारों को अपनी लागत वहन करनी पड़ती है।

के. के. टी. याचिका खारिज कर दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी साक्षी शर्मा (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।